

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लगात एवं अधिकार गुलशनिल निम्नलिखित के नाम पर ही किए जाये व
एवं निम्नों उत्तर गुलशनिल के नाम हैं।
गुलशनिल विषय पर वहीं यहीं ने एवं
गुलशन इमारत के नाम पर बदलकर यहीं विषयक
उपचार देता है जो विषयक नाम भिन्न होता है।



नाम : गुलशनिल
दृष्टान्त : (०८५१) २४१८९६
(०८२१) २४४२६२९
फ़ोन : (०८५१) २३६८७८९

घोषक :

कुलसविव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
बाह्यिकालय
दिनांक: १३/०२/१३
दिनांक: १३/०२/१३
प्रभाग: उपचारकालय/२०१२/६०५२

दिनांक: १३/०२/१३

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध फॉरेंस बार्कर एंगल कॉलेज ऑफ लार्सन, ग्वालियर (०८५१-२४३६६०१) को सत्र २०११-१२ के लिये घोट लैसिक बी.एस.-टी. (वर्सिटी) प्रवास वर्ष (पुस्तक: निरीक्षण समिति जल्द) एवं २०१२-१३ में
लिये प्रसारित/संवादित पोर्ट लैसिक बी.एस.-टी. (वर्सिटी) छिठीय वर्ष, पाठ्यक्रम क्षात्र/पाठ्यक्रमों/विषयों की अव्यापी
सम्बद्धता तेवु अनुसार एवं फॉरेंस बार्कर कॉलेज के लिये नावकीय गुलशनि नामदेवता/तात्त्वाची समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने
विश्वविद्यालय अधिकारियन १९७३ के परिवेषम २७(१०) के अन्वारति निम्नानुसार विरोधाण समिति का गठन किया है :-

(१) प्रो. एस.डी. द्विरेटी, आवार्ड, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.टि., ग्वालियर। (संयोजक)

(०८५१-२४४२८१७)

(२) डॉ. शुभदा शर्मा, प्राचार्या, बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ लैसिक, ग्वालियर।

(३) प्रो. डी.एल. गोहरानी, अधिकारी, गठावेदालयीन विकास परिषद, जी.वि.टि., ग्वालियर।

निम्नानुसार समिति के सदस्यों की अनुसूचि है कि वे वर्षिकम २७/२८ में दावपालों की अनुल्प महाविद्यालय का प्रबन्ध
निरीक्षण कर शुरू, घोटर तारी, अधिक सैमानिक/असैमानिक

क द्वारा, प्राप्तिकृत संस्था के पाद अनुगति/अनुप्राप्ति प्रमाण-पत्र, भवत, दीर्घ विस्तर एवं पाठ्यक्रम/आक्षिकल तथा
प्रिष्ठे उनमें दी गई जर्ती की पूर्वी तथा प्रमाण पत्र के तत्व प्राचार्य/सैमानिक एवं अधीकारिक द्वारा की निम्नक्रियों का
प्रगति एवं वेतन आवाद के द्वारा में साथ विवरण अनुसारानुसार अधिकारी करें।

स्थानीय समिति की बैठक दिनांक २६ वित्तमाह २०१२ के पद क्रमांक ६० (अ-अ-२) पर लिये जाने विरोधानुसार
निरीक्षण समिति द्वारा ३० वित्त में महाविद्यालय का निरीक्षण कर १५ दिवस् में विश्वविद्यालय कावलय जैसे निरीक्षण
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। वित्तारों के दावपालों कावलयी (विश्वविद्यालय दिवीक्षण वर्ष) ४५ दिवस् में पूर्वी ही अक्षेत्रों एवं
महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थाची सम्बद्धता में विभजन वही होगा एवं उसका उन्नवालता
संबंधी कावलयाई पूर्व हो सकेंगी तथा शासन जेटिंगों का पालन तुम्हें बताएं किया जा सकेगा।

ग्रन्थ के ४५ दिवस् में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह नामा जारीया कि गठावेदालय का निरीक्षण नहीं हुआ
है। विवरानुसार अवृद्धि जना कराकर बरीब रागिति गरिति की जावेगी। वित्त १५ दिवस् में विरोधानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करना
अविवार्य होगा। परिवेषक २७(११)(७) के अनुसार राजनीता प्राप्त विवाद विवाद विवाद देता अविवार्य है।

निरीक्षण समिति ने साथ सम्बद्धता शास्त्र जैसे कार्यकृत अधीकार / विवरण सम्बद्धता प्रबन्धकी लेकर जेटिंगों तथा
महाविद्यालय की प्रस्तुतियों से विरोधानुसार समिति को ग्रवगत करायेगी। निरीक्षण समिति के दावपालों को दीए जीए
ग्रन्थदेव गठावेदालय द्वारा देय होगा।

कुलसविव

प्रतिलिपि :-

१. समरूप सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
२. प्राचार्य/आचार्या, गंभीर भवावित भवाविद्यालय की ओर भेजाना आवश्यक है कि नाविति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर
निरीक्षण दिवांक निराकार कर गठावेदालय का बेलाभास करायें। उपरान्त निरीक्षण १५ दिवस के अवधि कराने की
त्यरिया करें।
३. अनुकूल उत्तर दिला, सत्यपुर्ण अवज्ञ, भोगाल
४. कुलपति के दावेव कुलसविव के लिये सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

सहायक कुलसविव (सम्बद्धता)